

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC-I)/2019/596

दिनांक 01.02.2019


Corrigendum

निदेशालय द्वारा जारी आरसीसी/ई-आरसीसी टेकों की ई-नीलामी हेतु निम्नांकित विज्ञप्तियां जारी की गई है:-

- 1 विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ERCC-I)/2019/74 दिनांक: 07-01-2019
- 2 विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ERCC-II)/2019/145 दिनांक: 12-01-2019
- 3 विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ERCC-III)/2019/220 दिनांक: 16-01-2019
- 4 विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ERCC-IV)/2019/295 दिनांक: 23-01-2019
- 5 विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ERCC-V)/2019/382 दिनांक: 25-01-2019
- 6 विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी(ERCC-VI)/2019/520 दिनांक: 31-01-2019

उपरोक्त सभी विज्ञप्तियों में ई-नीलामी की प्रक्रिया में वर्णित बिंदु संख्या 4 व 5 के मध्य निम्नानुसार बिंदु 4ए जोड़ा जाता है:-

“4ए- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित “ठेके की आरक्षित राशि” के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रूपये से कम होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रूपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा कराना होगी।”



(एन. के. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक (मु0-खान)

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC-I)/2019/597-598 दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का वेबसाईट पर प्रकाशन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करावें :-

1. Sh. Umesh Chandra, Sr. Manager, MSTC LTD. Jaipur
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर


(ओ पी. काबरा)
अधीक्षक खनि अभियन्ता (नी.प्र.)